राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र– ततारपुर

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा	रजू. दिनांक	अन्तिम निर्णय दिनांक
172 / 17	03.06.2017	21.05.2018

अनुवान

1. सुगनचन्द
2. रघुवीर पुत्रान प्रभाती जाति जोगी निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:–वादीगण

बनाम

1. छोटेलाल
2. हरिसिंह पुत्रान मक्खनलाल जाति अहीर निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

:–प्रतिवादीगण

दावा–खाता विभाजन

–::अन्तिम निर्णय::–

दिनांक:– 21.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ततारपुर में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये एवं अन्तिम निर्णय कर दिये जाने का निवेदन किया। चुंकि प्रकरण तकासमा आराजी का होकर कुरेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर से जरिये पत्रांक 660 दिनांक 21.05.2018 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। ऐसी स्थिती में यह न्यायालय वादीया के वाद को विवादित हाल आराजी ख0 नम्बर के बाबत अन्तिम निर्णित किया जाना उचित पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

—:आदेशः—

यह न्यायालय वादीगण के वाद को तकासमा आराजी का होने एवं कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली होने की स्थिती में विवादित आराजी ख0 नं0 2172/0.23 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ''प्रदर्श–अ'' निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमे आम में सुनाया गया।

21.05.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0